न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 44/2019 (अपील)
जी.सी.एम.एस. नं. – 2019/0001ए3

उनवान

1. मृतक बलराम आत्मज माधोलाल जाति धाकड निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा ।
2. विष्णु प्रसाद आत्मज बलराम जाति धाकड
3. जगदीश प्रसाद आत्मज बलराज जाति धाकड
4. प्रेमचन्द आत्मज बलराम जाति धाकड निवासीगण जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा।

बनाम (अपीलान्ट)

श्री पीताम्बर महाराज करवाड, जर्ये व्यवस्थापक् :–

1. भोजराज सिह आत्मज स्व. गिरवर सिह जाति राजपूत
2. युधिष्टर सिह आत्मज स्व. गिरवर सिह जाति राजपूत निवासीगण करवाड तहसील पीपल्दा कोटा।
3. सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा,जिला कोटा

(रेंस्पोडेन्टस्)

उपस्थित अभिभाषक :– श्री जगदीश नन्दवाना,(अपीलान्ट)
श्री संग्राम सिह (रेस्पोडेन्टस क.1 व 2)

अपील बनाराजगी नामान्तरकरण सं. 801 दिनांक 5.06.2017

न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा

निर्णय दिनांकः– 7/5/2025

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूर्ति श्री पीताम्बर जी के व्यवस्थापक् की मृत्यु होने पर बिना किसी संक्षम न्यायालय या अधिकारी से मूर्ति के व्यवस्थापक् के संबध में आदेश के मृतक व्यवस्थापक के वारिसो को व्यवस्थापक् मानते हुए नाम दर्ज करने में भारी त्रुटि की है। मूर्ति का व्यवस्थापक् कोन होगा का निर्णय करने का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय या देवस्थान विभाग को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूर्ति के व्यवस्थापक कोन है की जॉच किये बिना व्यवस्थापक् के वारिसों के नाम फोती नामांतरकरण दर्ज करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज अपीलान्ट को बिना सूचित किये तथा बिना जॉच किये आदेश दिया है जबकि जमाबंदी में अपीलान्ट के नाम दर्ज है।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी सर्वप्रथम राजस्व मण्डल अजमेंर में जैरकार अपील में इंतकाल की नकल पेश करने पर तहसील से नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 5.11.2019 को हुई, तारीख जानकारी के पूर्व की अवधि कन्डोन होने योग्य है तथा अपील तारीख जानकारी से अवधि मध्य प्रस्तुत है। गिरवर सिह के वारिसो में गिरवर सिह की पुत्रियां देवेन्द्र कुमारी,यादवेन्द्र कुमारी,कोशलेन्द्र कुमारी,राघवेन्द्र कुमारी ने वारिस का नाम दर्ज होने पर अपने भाइयों के पक्ष में रिलीज दिनांक 7.6.2017 को कर देने से नाम तर्क कर दिया है जिससें इन्हे पक्षकार नही बनाया गया है तथा जमाबंदी में अपीलान्ट के भाई रामेश्वर का नाम दर्ज है जो फोत हो चुका है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 801 निरस्त फरमावें।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेंशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट क.1 व 2 की ओर से अभिभाषक संग्राम सिह सोलंकी द्वारा वकालतनामा पेश किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार पीपल्दा के नामान्तरकण संख्या 801 दिनांक 5.06.2017 के विरूद्व दिनांक 4. 12.2019 को पेश हुई है, जो विलम्ब से पेश हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी सर्वप्रथम राजस्व मण्डल अजमेंर में जैरकार अपील में इंतकाल की नकल पेश करने पर तहसील से नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 5.11.2019 को होना अवगत करवाया है। अतःन्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

पत्रावली में बहस-सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूर्ति श्री पीताम्बर जी के व्यवस्थापक् की मृत्यु होने पर बिना किसी संक्षम न्यायालय या अधिकारी से मूर्ति के व्यवस्थापक् के संबध में आदेश के मृतक व्यवस्थापक के वारिसो को व्यवस्थापक् मानते हुए नाम दर्ज करने में भारी त्रुटि की है। मूर्ति का व्यवस्थापक् कोन होगा का निर्णय करने का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय या देवस्थान विभाग को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूर्ति के व्यवस्थापक कोन है की जॉच किये बिना व्यवस्थापक् के वारिसों के नाम फोती नामांतरकरण दर्ज करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज अपीलान्ट को बिना सूचित किये तथा बिना जॉच किये आदेश दिया है जबकि जमाबंदी में अपीलान्ट के नाम दर्ज है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त DNJ (Raj.) 2013 (3) पेश किए।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट की निजी भूमि है इस संबध में न्यायालय जागीर कमिश्नर जयपुर द्वारा भी आदेश जारी किए है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आराजी के संबध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा में भी वाद विचाराधीन होना अवगत करवाया। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 801 दिनांक 5.06.2017 सही है। अतः अपील खारिज किये जावे।

वकील पक्षकारान की बहस सुननें के पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांन्ट द्वारा उक्त अपील तहसीलदार पीपल्दा के नामान्तरकरण संख्या 801 दिनांक 5.06.2017 के विरूद्व पेश की गई है। न्यायालय वकील रेस्पोडेन्ट के तर्क एवं बहस से सहमत है कि उक्त आराजी के संबध में न्यायालय जागीर कमिश्नर जयपुर द्वारा पारित आदेश 12.3.1963 से ग्राम सौभागपुरा तहसील पीपल्दा में स्थित मंदिर श्री पीताम्बर महाराज के नाम दर्ज भूमि को निजी सम्पति धोषित किया गया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 801 दिनांक 5.06.2017 में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से अपील खारिज की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 7/5/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

मुद्रा